पत्र संख्या /कम्प्यूटराइजेशन / 2007-2008 / 256 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(कम्प्यूटर अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: //मार्च , 2008

-:- कार्यालय-ज्ञाप - :-

प्रदेश के वाणिज्य कर विभाग में कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया अर्न्तगत अब तक रिसीट, रजिस्ट्रेशन और रिटर्न (फार्म-24) के माड्यूल एन0आई0सी0 द्वारा विकसित किये जा चुके हैं तथा इस पर कार्य किया जा रहा है । वाणिज्य कर भुगतान हेतु अब तक की प्रक्रिया यह है कि रिटर्न के अनुसार व्यापारी पर जो वाणिज्य कर की देयता बनती है, उतनी धनराशि का वह निर्धारित फार्म पर चालान भर कर अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंक में चार प्रतियों में चालान तथा देय धनराशि नकद / बैंक ड्राफ्ट / चेक के माध्यम से जमा करता है । चालान की दो प्रति उसे बैंक मुहर लगाकर वापस करता है जिसमें एक प्रति व्यापारी अपने पास रखता है और दूसरी प्रति रिटर्न के साथ संलग्न कर विभाग में जमा करता है । बैंक अपने पास जो दो प्रतियॉ रखता है उसमें एक प्रति लिंक ब्रांच के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग को और दूसरी प्रति भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से सम्बन्धित जिले के कोषागार को प्राप्त होती है और इस प्रकार कोषागार में प्राप्त चालान प्रति के अनुसार जमा धनराशि शासकीय एकाउण्ट में अंकित होती है । वाणिज्य कर की धनराशि अधिक होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से व्यापारी इसे नकद न जमाकर चेक के माध्यम से जमा करना चाहता है। व्यापारी के द्वारा चेक से धनराशि चालान द्वारा वाणिज्य कर के हेड में जमा करने की स्थिति में इस चेक का क्लियरेन्स होकर स्टेट बैंक के माध्यम से कोषागार मे प्राप्त होने तथा उसे वाणिज्य कर के हेड में अंकित करने में कई दिन लग जाते हैं । इस वर्तमान व्यवस्था में एक तरफ व्यापारी को कर जमा करने हेतु चालान् के साथ प्रत्येक बार बैंक जाना पड़ता है और दूसरी तरफ उसके द्वारा कर की धनराशि जमा करने के बाद भी चेक क्लियरेन्स के बाद सत्यापित होकर चालान कोषागार में प्राप्त होने में समय लगता है जिसके कारण प्रश्नगत धनराशि शासकीय एकाउण्ट में विलम्ब से प्राप्त होती है । अत: उपरोक्त पृष्ठभूमि में वाणिज्य कर भुगतान की वर्तमान व्यवस्था के साथ-साथ इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से वाणिज्य कर जमा करने की सुविधा व्यापारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एन0आई0सी0 तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा संयुक्त रुप से माड्यूल विकसित किये गये हैं जो वाणिज्य कर विभाग की विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है ।

ऐसी कम्पनियॉ या व्यापारी जो वाणिज्य कर विभाग में रजिस्टर्ड हैं अर्थात् जिनके पास TIN नम्बर है और जिनका भारतीय स्टेट बैंक की किसी कोर बैंकिंग शाखा में एकाउण्ट है, वह वाणिज्य कर का भुगतान इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से कर सकते हैं । अभी प्रारम्भ में यह सुविधा केवल स्टेट बैंक द्वारा अपने ऐसे खाता धारकों को जिनका किसी कोर बैंकिग शाखा में एकाउण्ट है, को उपलब्ध करायी जा रही है किन्तु शीघ्र ही कई अन्य अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा भी इन्टरनेट बैंकिग की यह सुविधा अपने खाताधारकों को उपलब्ध करायी जा सकेगी जिसकी सूचना तत्समय वेबसाइट / समाचार पत्र के माध्यम से प्रसारित की जायेगी । उत्तर प्रदेश में भारतीय स्टेंट बैंक की इस समय लगभग 1250 शाखायें हैं । अत: इन सभी कोर बैंकिग शाखाओं के खाताधारक नेट पेमेन्ट की सुविधा तात्कालिक प्रभाव से प्राप्त कर सकते हैं । भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक उनकी सभी शाखायें कोर बैंकिग में आ जायेगी ।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रारम्भ में इस सुविधा का उपयोग ऐसे सभी व्यापारी कर सकते हैं जिनके पास TIN नम्बर है और जिनका भारतीय स्टेट बैंक की किसी कोर बैंकिग शाखा में एकाउण्ट है । ऐसे व्यापारी देय वाणिज्य कर का भुगतान नेट पेमेन्ट के माध्यम से अपने स्वयं

के कम्प्यूटर जो इन्टरनेट से जुड़ा हो, द्वारा या किसी भी साइबर कैफे से निम्नानुसार चरणबद्ध रुप में लाग इन् करके कर सकते हैं :-

1- नेट पेमेन्ट की सुविधा लेने के लिए व्यापारी को विभाग की वेबसाइट http;//comtax.up.nic.in पर जाकर नेट बैंकिग बटन पर क्लिक करना होगा उसके बाद के वेब पेज पर व्यापारी को लाग इन करना होगा। व्यापारी का User- id उसका TIN होगा तथा प्रथमबार उसका पासवर्ड 123 होगा ।

2- लाग इन करने के पश्चात् व्यापारी को Sign in के बटन से अपना पासवर्ड बदलना होगा। भविष्य में नये पासवर्ड से ही व्यापारी को साइन इन करना होगा। व्यापारी द्वारा नेट पेमेन्ट की कार्यवाही हेतु User id में TIN नम्बर भरा जायेगा तथा नये पासवर्ड को भरकर लाग इन किया जायेगा।

3- साइन इन करने के पश्चात् व्यापारी को कर निर्धारण वर्ष, टैक्स पीरियड, लोकेशन एवं आफिस, वाणिज्य कर जमा करने का मद निर्धारित स्थान पर भरना / सेलेक्ट करना होगा। इसके पश्चात् मदो की राशि के जोड़ हेतु Total बटन पर क्लिक करना होगा। इस पेज को सेव करने के पश्चात् व्यापारी द्वारा इस सम्व्यवहार को कन्फर्म किया जायेगा।

4- सम्व्यवहार कन्फर्म करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट अपने आप ओपेन हो जायेगी। जहॉ पर खाताधारक को अपना इन्टरनेट बैंकिग का यूजर नेम व पासवर्ड डालना होगा उसके पश्चात् पिछली स्क्रीन में भरे गये चालान का व्यौरा उपलब्ध होगा।

5- खाताधारक को डेविट ट्रांजेक्शन के सफल होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एक रेफरेन्स आई0डी0 नम्बर दिया जायेगा तथा यह रिफरेन्स I D पुन: विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होगा जहॉ से खाताधारक साइबर रसीद प्राप्त कर सकेगा। इस रिफरेन्स I D का उपयोग भविष्य में किसी शंका / समस्या समाधान हेतु भी किया जा सकेगा। व्यापारी अपने द्वारा जमा किये गये वाणिज्य कर का दो प्रतियों में कम्प्यूटर जेनरेटेड चालान का प्रिन्ट आऊट लेगा। उसके द्वारा इस प्रकार लिये गये प्रिन्ट आऊट की एक प्रति अपने रिकार्ड हेतु रखी जायेगी और दूसरी प्रति रिटर्न के साथ वाणिज्य कर विभाग में रिटर्न दाखिल करते समय संलग्न कर दी जायेगी।

6- व्यापारी द्वारा नेटपेमेंन्ट करते समय यदि भुगतान के उपरान्त नेट में बाधा के कारण बैंक द्वारा दिया गया रेफरेंस आई0डी0 नम्बर साइबर चालान पर उपलब्ध नहीं हो पाता है तथा व्यापारी साइबर चालान का प्रिट आऊट नहीं ले पाता है ऐसी स्थिति में व्यापारी, वाणिज्य कर के सहायता दूरभाष संख्या 2721588 एवं ई-मेल ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) का ई-मेल uptt-stat rediffmail.com. पर तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करेंगे। शिकायत में रेफरेंस आई0डी0 का स्पष्ट रुप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। वाणिज्य कर में इस प्रकार की त्रुटियों के निस्तारण के लिये संख्या अनुभाग, स्टेट बैंक से आपसी तालमेल कर 24 घंटे के अन्दर विभागीय वेबसाइट पर बैंक द्वारा दिया गया रेफरेंस आई0 डी0 नम्बर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा जिससे व्यापारी साइबर चालान के प्रिंट आऊट निकाल सके।

नेट पेमेन्ट की इस व्यवस्था में वाणिज्य कर विभाग के अतिरिक्त एन0आई0सी0, भारतीय स्टेट बैंक व कोषागार की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें प्रत्येक को अपने पक्ष की भूमिका निवर्हन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करनी होगी :-

(अ) <u>वाणिज्य कर विभाग को प्राप्त होने वाली रिपोर्टस तथा उसके द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य</u>

1- भारतीय स्टेट बैंक की राजकीय व्यवसाय शाखा लखनऊ द्वारा प्रतिदिन इन्टर नेट बैंकिग के माध्यम से भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में व्यापारी के टिन नम्बर, फर्म का नाम व पता, बैंक का नाम, कर की मदवार जमा की गयी तथा कुल जमा की गयी धनराशि आदि का विवरण

वाणिज्य कर विभाग मुख्यालय लखनऊ में ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) को तथा जमा का एक समेकित सत्यापित विवरण, जिसमें सभी जमा चालानों का पूर्ण विवरण अंकित होगा, स्क्राल सहित साफ्टाकापी वह हार्ड कापी पर कोषागार लखनऊ कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त विवरण के आधार पर प्रतिदिन जिस सम्भाग / ज़ोन के व्यापारी द्वारा धनराशि जमा की गयी होगी, उसकी जनपदवार / सम्भागवार /ज़ोनवार सूचना ई-मेल के माध्यम से तत्काल सम्बन्धित ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक / कारपोरेट सेल) तथा सम्बन्धित ज़िले के आहरण एवं वितरण अधिकारी को ई-मेल के माध्यम से भेजी जायेगी । ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) द्वारा कोषागार लखनऊ कलेक्ट्रेट से नियमानुसार मासिक मिलान कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा करायी गयी तिथिवार धनराशि वाणिज्य कर के हेड में प्राप्त दिखायी जा रही है । किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आवश्यक जॉच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने का दायित्व ज्वाइंट कमिश्नर (संख्या) का होगा। किसी भी प्रकार की भिन्नता मिलने पर कमिश्नर, वाणिज्य कर को भी तद्नुसार सूचित किया जायेगा।

3- ज़ोनल एडीशनल कमिश्नर /ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, मुख्यालय से प्राप्त ई-मेल के आधार पर अपने जोन / सम्भाग की इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा की गयी धनराशि को सम्मिलित करेंगे किन्तु यह धनराशि अलग कालम में भी दर्शित की जायेगी ताकि जोन / सम्भाग की समीक्षा के समय यह स्पष्ट हो सके कि जोन / सम्भाग के कुल प्राप्त धनराशि में कितनी धनराशि नेट बैंकिग के माध्यम से जमा की गयी है।

4- सम्बन्धित ज़िले के आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्राप्त उक्त सूचना के आधार पर अपने जनपद के डी0सी0आर0 में अलग से इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से जमा कालम खोलकर जमा की प्रविष्टि की जायेगी। व्यापारी को रिफण्ड इस डी0सी0आर0 से पुष्टि के उपरान्त किया जायगा।

(ब) भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सम्पादित किये जाने वाले दायित्व

1- **प्रतिदिन** इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से व्यापारी के एकाउण्ट से भारतीय स्टेट बैंक के सम्बन्धित शाखा से भुगतान होने के बाद जमा का एक समेकित सत्यापित विवरण, जिसमें सभी चालानों का पूर्ण विवरण अंकित होगा, स्क्राल सहति साफ्ट कापी व हार्डकापी पर भुगतान के अगले दिन तक कोषागार लखनऊ कलेक्ट्रेट एवं वाणिज्य कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने का दायित्व भारतीय स्टेट बैंक का होगा।

2- **कोषागार** लखनऊ कलेक्ट्रेट में नेट पेमेन्ट के माध्यम से जमा धनराशि का लेखा स्टेट बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापित विवरण के आधार पर तैयार किया जायेगा, अत: विवरण की सत्यता की जिम्मेदारी पूर्ण रुप से स्टेट बैंक की होगी।

3- **स्टेट** बैंक द्वारा कोषागार निदेशालय व एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर, कोषागार को सूचना प्रेषित करने हेतु आवश्यक फार्मेट प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित फार्मेट पर सूचना जनरेट करने हेतु अपने कम्प्यूटर साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा ताकि सूचना कोषागार के कम्प्यूटर पर सीधे अपलोड किया जा सके।

(स) एन0आई0सी0 द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य

1- नेटे पेमेन्ट के माध्यम से व्यापारीवार, पेमेन्ट की गयी धनराशि का तिथिवार मदवार विवरण एन0आई0सी द्वारा अपनी साइट से स्टेट बैंक की साइट पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा पूरे दिन भर जमा का विवरण एवं चालान का साफ्ट कापी बैंक को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- एन0आई0सी0 द्वारा ट्रेजरी माड्यूल में भी आवश्यक संशोधन कराया जायेगा ताकि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कोषागार निदेशालय से प्राप्त फार्मेट पर, सक्राल व चालानों का समेकित विवरण अपने आप यथावत कोषागार के माड्यूल में फीडिंग हो जाये और इसके लिए अलग से फीडिंग करने की आवश्यकता न हो। यह कार्य आगामी एक माह में पूर्ण कर लिया जाये। चूँकि आगे जाकर अन्य विभागों द्वारा भी वाणिज्य कर विभाग की भाँति नेट पेमेन्ट की सुविधा अनुमन्य करायी जा सकती है, अत: यदि भारतीय स्टेट बैंक के स्क्राल से सीधे कोषागार के माड्यूल में विवरण प्राप्त हो जाने पर कोषाागार को अत्यधिक सुविधा होगी तथा कर की धनराशि सीधे शासकीय एकाउण्ट में प्राप्त हो सकेगी। अत: इस कार्य को शीघ्र एन0आई0सी0 द्वारा सम्पादित किया जाना आवश्यक है। एन0आई0सी0 और भारतीय स्टेट बैंक यदि अपनी साइट में कोई परिर्वतन करते हैं तो वह आपसी सहमति से किया जायेगा।

(द) कोषाागार लखनऊ कलेक्ट्रेट द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य एवं दायित्व

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रतिदिन के नेट पेमेन्ट का समेकित चालानों का विवरण व स्क्राल साफ्टकापी व हार्ड कापी पर सत्यापित करके कोषागार को उपलब्ध कराया जायेगा उसके अनुसार कोषागार के माड्यूल पर वाणिज्य कर के हेड में प्रश्नगत धनराशि सीधे अपलोड कर ली जायेगी।

नेट पेमेन्ट की उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था में उपरोक्त सभी विभागों से उक्त निर्धारित दायित्व निवर्हन अपेक्षित है ताकि अधिकाधिक व्यापारी इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकें। यह परिपत्र सभी संबंधित पक्षों की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- प्रमुख सचिव, वित्त एवं प्रमुख सचिव कर, निबन्धन उत्तर प्रदेश शासन।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।
3- मुख्य महाप्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक, स्था0प्र0का0, लखनऊ ।
4- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार लखनऊ।
7- समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर / आहरण एवं वितरण अधिकारी वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
8- मुख्यालय के समस्त एडीशनल कमिश्नर / ज्वाइंट कमिश्नर

11.3.08
(सुनील कुमार)
कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
लखनऊ।